LT-174/80

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II SECTION 3(i)
AS GSR 804 DATED 9-6-1979

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya)
Department of Mines (Khan Vibhag)

New Delhi, the 22nd May, 1979 / 1 Jaistha, 1901 (Saka)

NOTIFICATION

G.S.R. 804. In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Second Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960,-

(1) after rule 37, the following rule shall be inserted, namely:-

"37A. Transfer of lease to be executed within three months,- Where on an application for transfer of mining lease under rule 37, the State Government have given consent for transfer of such lease, a transfer lease deed in Form O or a form as near thereto, as possible, shall be executed within three months of the date of the consent, or within such further period as the State Governmnt may allow in this behalf.

(2) In Schedule I, after Form N, the following Form 'O' shall be inserted, namely:-

"Form O"

Model form for transfer of mining lease
(see rule 37A)

This indenture made this ____ day of _____ 19_____

When the Transferor is an individual.

between _____ (Name of the person with address and occupation)(hereinafter referred to as the "transferor" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns).

When the transferors are more than one individual

_______(Name of the person with address and occupation) and _____ (Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "transferor" which expressi shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assigns).

When the transferor is a registered firm.

_____ (Name of the person with address of all the partners) all carrying on business in partnership under the firm name and style of _____(Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at _____ (hereinafter refer to as the "transferor" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns).

Where the transferor is a registered company.

_______(Name of Company) a company registered under _____(Act under which incorporated) and having its registere office at _____ (Address) (hereinafter referred to as the "transferor" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the first part

And

	______(Name of person with address and occupation)
When the transferee is an individual	(hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns)
When the transferees are more than one individual	______(Name of the person with address and occupation) and ______(Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assigns)
When the transferee is a registered firm.	______(Name and address of all the partners all carrying on business in partnership under the firm name and style of) ______(Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at ______(hereinafter referred to as the "transferee" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns)
When the transferee is a registered company.	______(Name of Company) a company registered under (Act under which incorporated) and having its registered office at ______(Address) (hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns)

of the second part

and

the Governor of __________ (hereinafter referred to as the 'State Government' which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the third part

WHEREAS by virtue of an indenture of lease dated the _______ and registered as No. ______ on __________ (Date) in the office of the Sub-Registrar of _____ (place)(hereinafter referred to as lease) the original whereof is attached hereto and marked 'A' entered into between the State Government (therein called the lessor) and the transferor (therein called the lessee), the transferor is entitled to search for, win and work the mines and minerals in respect of _______ (name of mineral/s) in the lands described in the Schedule thereto and also in Schedule annexed hereto for the term and subject to the payment of the rents and royalties and observance and performance of the lessee's covenant and conditions in the said deed of lease reserved and contained including a covenant not to assign the lease or any interest thereunder without the previous sanction of the State Government.

AND WHEREAS the transferor is now desirous of transfering and assigning the lease to the transferee and the State Government has, at the request of the transferor, granted (with the prior approval of the Central Government) permission to the transferor vide order No. ________ dated _______ to such a transfer and assigiment of the lease upon the condition of the transferee(s) entering into an agreemen[t] and containing the terms and conditions hereinafter setf[orth]

Now this Deed Witnesseth as follows:

1. In consideration of Rs. ______ paid by the transferee to the transferor, the receipt of which the transferor hereby acknowledges, the transferor hereby conveys assigns and transfers unto the transferee all the rights and obligations under the said hereinbefore recited lease and to hold the same unto the transferee with effect from __________ for the unexpired period of the said lease.

2. The transferee hereby covenants with the State Government that from an after the transfer and assignment of the lease the transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in said hereinbefore recited lease in the same manner in all respects as if the lease had been granted to the transferee as the lessee thereunder and he had originally executed it as such.

3. It is further hereby agreed and declared by the transferor of the one part and the transferee of the other part that

(i) The transferor and the transferee declare that they have ansured that the mineral rights over the area for which the mining lease is being transferred vest in the State Government.

(ii) The transferor hereby declares that he has not assigned sublet, mortgaged or in any other manner transferred the mining lease now being transferred and that no other person or persons has any right, title or interest whereunder in the present mining lease being transferred.

(iii) The transferor further declares that he has not entered into or made any agreement, contract or understanding whereby he had been or is being directly or indirectly financed to a substantial extent by or under which the transferor's operation or understandings were or are being substantially controlled by any person or body of persons other than the transferor.

(iv) The transferor further declares that he has furnished an affidavit alongwith his application for transfer of the present mining lease specifying therein the amount that he has already taken/proposes to take as consideration from the transferee.

(v) The transferee further declares that he is financially capable of and will directly undertake mining operations.

(vi) The transferee holds a Certificate of Approval and Income Tax Clearance Certificate in form 'C' from the Income Tax Officer concerned.

(vii) The transferor has supplied to the transferee the original/or certified copies of all plans of abandoned workings in the area and in a belt 65 metres wide surrounding it.

(viii) The transferee hereby further declares that as a consequence of this transfer, the total areas while held by him under mineral concessions are not in contravention of Section 6 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, ~~1957 or rule 35~~ of the Mineral Concessi Rules, 1960.

(ix) The transferor has paid all the rent, royalties and other dues towards Government till this date, in respect of this lease.

IN WITNESS WHEREOF THE parties hereto have signed on the date and year first above written.

SCHEDULE

Location and area of the lease

All that tract of lands situated at ____________ (Description of area or areas) __________ in (Pargana) in _____ the Registration District ________ Sub District __________ and Thana _________ bearing Cadestral Survey Nos. ______________ containing an area of _______ or thereabout delineated on the plan hereto annexed and thereon coloured_____ and bounded as follows:-

ON THE NORTH BY
ON THE SOUTH BY
ON THE EAST BY
AND
ON THE WEST BY

Signed by

for an on behalf of the State Government in the presence of

1.
2.

Signature of Transferor
in presence of witnesses
1.
2.

Signature of Transferee in the presence of
1.
2.

File No. 7(2)/78-MVI/MM

(I.A. Chowdhury)
Deputy Secretary to the Govt. of India.

LT-174/80

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(i) में सा०का०नि० 804 दिनांक 9-6-1979 के रूप में प्रकाशित)

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग

....

नई दिल्ली, तारीख 22 मई, 1979 / 1 ज्येष्ठ, 1901 (शक)

अधिसूचना

सा०का०नि० 804 — केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में —

(1) नियम 37 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"37क पट्टे के अंतरण का तीन मास के भीतर निष्पादित किया जाना :- जहां नियम 37 के अधीन खनन पट्टे के अंतरण के लिए आवेदन पर राज्य सरकार ने ऐसे पट्टे के अंतरण के लिए सम्मति दे दी है, वहां प्ररूप ण या यथासंभव उससे मिलते-जुलते प्ररूप में अंतरण पट्टा विलेख, ऐसी सम्मति की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राज्य सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे, निष्पादित किया जाएगा।"

(2) अनुसूची 1 में, प्ररूप ढ के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप 'ण' अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

....2/..

"प्ररूप ण"

खनन पट्टा के अन्तरण के लिए आदर्श प्ररूप
(नियम 37क देखिए)

यह करार एक पक्षकार के रूप में …………

जब अन्तरक व्यष्टि है । (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिसे इसमें आगे 'अन्तरक' कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो इसके अंतर्गत उसका वारिस, निष्पादक, प्रशासक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती भी है) ।

जब अन्तरक एक से अधिक व्यष्टि हैं । ………………(व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका और ………………(व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिन्हें इसमें आगे 'अन्तरक' कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो इसके अंतर्गत क्रमशः उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं) ।

जब अन्तरक रजिस्ट्रीकृत फर्म है । …………(सभी भागीदारों के पतों के साथ व्यक्ति का नाम) जो ………(फर्म का नाम) फर्म के नाम और अभिनाम से, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ………… में है, जिसे इसमें आगे 'अन्तरक' कहा गया है तथा जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उक्त सभी भागीदार, उनके अपने वारिस, निष्पादक विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे) भागीदारी में कारबार कर रहे हैं ।

जब अन्तरक रजिस्ट्रीकृत कंपनी है । …………… (कंपनी का नाम) जो ……………… (यहां उस अधिनियम का नाम लिखिए जिस के अधीन यह निगमित है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय……… में है (पता) (जिसे इसमें आगे 'अन्तरक' कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)

तथा

जब अन्तरिती व्यष्टि है । — दूसरे पक्षकार के रूप में .... (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिसे इसमें आगे 'अन्तरिती' कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे) ।

जब अन्तरिती एक से अधिक व्यष्टि है । — ....(व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) और ....(व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिन्हें इसमें आगे 'अन्तरक' कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उनके अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)।

जब अन्तरिती रजिस्ट्रीकृत फर्म है । — ....(सभी भागीदारों का नाम, पता) जो ....(फर्म का नाम) फर्म के नाम और अभिनाम से, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... में है (जिसे इसमें आगे 'अन्तरिती' कहा गया है तथा जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उक्त सभी भागीदार, उनके अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे) भागीदारी में कारबार कर रहे हैं ।

जब अन्तरिती रजिस्ट्रीकृत कंपनी है । — ....(कंपनी का नाम) जो .... (यहां उस अधिनियम का नाम लिखिए जिसके अधीन वह निगमित है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... में है (पता) जिसे इसमें आगे 'अन्तरिती' कहा गया है तथा जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे) ।

तथा

तीसरे पक्षकार के रूप में .... राज्य के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे 'राज्य सरकार' कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी

.....4/..

समझे जाएंगे) के बीच तारीख .... को किया गया ।

ता0 .... के पट्टा करार के आधार पर, जो .... (स्थान) के उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में ता0 ...... की सं0 .... के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, (जिसे इसमें आगे 'पट्टा' कहा गया है) और जिसकी मूल प्रति संलग्न है और उस पर 'क' चिह्न अंकित है तथा जो राज्य सरकार (जिसे उसमें पट्टाकर्ता कहा गया है) और अन्तरक (जिसे उसमें पट्टेदार कहा गया है) के बीच हुआ था, अन्तरक उसकी अनुसूची में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में भी वर्णित भूमियों में उस अवधि के लिए तथा उन भाटकों और स्वामित्वों संदाय करने पर और पट्टेदार की प्रसंविदा और शर्तों का, जो उक्त पट्टा विलेख में आरक्षित और अंतर्विष्ट है और जिनके अंतर्गत यह प्रसंविदा भी है कि वह राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, पट्टे का या उसके अधीन किसी हित का समनुदेशन नहीं करेगा, पालन करने पर .... (खनिज/खनिजों का नाम) की तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने और उनके संबंध में खान और खनिज खोदने का हकदार है । अब अन्तरक, अन्तरिती को पट्टे का अन्तरण और समनुदेशन करना चाहता है और अन्तरक की प्रार्थना पर राज्य सरकार ने (केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन से) तारीख .... के आदेश सं0 .... द्वारा अंतरक को पट्टे का ऐसा अन्तरण और समनुदेशन इस शर्त पर करने की अनुज्ञा दे दी है कि अन्तरिती ऐसा करार करेगा और उसमें वे निबंधन और शर्तें होंगी जो उसमें आगे वर्णित हैं ।

<u>यह विलेख इस बात का साक्षी है कि</u> –

1. अन्तरिती द्वारा अन्तरक को .... रु0 का संदाय, जिसकी प्राप्ति अन्तरक इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है, किए जाने के प्रतिफलस्वरूप अन्तरक इसके द्वारा अन्तरिती को इसमें इसके पूर्व उल्लिखित पट्टे के अधीन सब अधिकार और दायित्व हस्तांतरित, समनुदेशित और अन्तरित करता है और पट्टेदार उन्हें तारीख .... से उक्त पट्टे की अनवसित अवधि के लिए धारण करेगा ।

2. अन्तरिती इसके द्वारा राज्य सरकार से यह प्रसंविदा करता है कि पट्टे के अन्तरण और समनुदेशन के समय से और उसके बाद, अन्तरिती इसमें इससे पूर्व उल्लिखित पट्टे में अन्तर्विष्ट सभी प्रसंविदाओं, अनुबंधों और शर्तों के सभी उपबंधों का सभी प्रकार से पालन और अनुपालन करने के लिए और उनके अनुरूप कार्य करने के लिए उसी रूप में आबद्ध होगा और उनके अधीन होगा मानो यह पट्टा अन्तरिती को उस पट्टे के अधीन पट्टेदार के रूप में दिया गया था और उसने उसे मूल रूप में निष्पादित किया था ।

3. एक पक्षकार के रूप में अन्तरक और दूसरे पक्षकार के रूप में अन्तरिती के बीच यह भी करार किया जाता है और उनके द्वारा घोषणा की जाती है कि –

(i) अन्तरक और अन्तरिती इस बात की घोषणा करते हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि जिस क्षेत्र के विषय में खनन पट्टा अन्तरित किया जा रहा है उस क्षेत्र पर खनिज अधिकार राज्य सरकार में निहित है ।

(ii) अन्तरक घोषणा करता है कि उसने उस खनन पट्टे का, जो इस समय अन्तरित किया जा रहा है, समनुदेशन, उप-पट्टाकरण, बन्धक या किसी अन्य रीति से अन्तरण नहीं किया है और वर्तमान खनन पट्टे में, जिसका अन्तरण किया जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई अधिकार, हक या हित नहीं है ।

(iii) अन्तरक यह भी घोषणा करता है कि उसने ऐसा कोई करार, संविदा या समझौता नहीं किया है जिसके द्वारा उसका पर्याप्त वित्त पोषण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया गया था या किया जा रहा है और जिसके द्वारा या जिसके अधीन अन्तरक की संक्रिया या उपक्रमों का सारभूत रूप में नियंत्रण, अन्तरक से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय द्वारा किया जा रहा था या किया जा रहा है ।

.....6/...

(iV) अन्तरक यह भी घोषणा करता है कि उसने वर्तमान खनन पट्टे के अन्तरण के लिए अपने आवेदन के साथ एक शपथपत्र भी पेश किया है जिसमें वह रकम विनिर्दिष्ट की गई है जो वह अन्तरिती से प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का विचार रखता है।

(V) अन्तरिती यह भी घोषणा करता है कि वह खनन संक्रिया के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है और उसे शीघ्र आरंभ कर देगा।

(Vi) अन्तरिती के पास अनुमोदन - प्रमाणपत्र और सम्बद्ध आयकर अधिकारी से प्राप्त आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र है।

(Vii) अन्तरक ने अन्तरिती को उस क्षेत्र में और उसके चारों ओर 65 मीटर के दायरे में सभी परित्यक्त खनिजों के सभी नक्शों की मूल/या अधिप्रमाणित प्रति दे दी है।

(Viii) अन्तरिती यह भी घोषणा करता है कि इस अन्तरण के परिणामस्वरूप खनिज रियायतों के अधीन उसके द्वारा धारित क्षेत्र से खान और खनिज (विनियमनऔर विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 6 या खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 35 का उल्लंघन नहीं होता है।

(ix) अन्तरक ने इस पट्टे की बाबत आज तक सरकार को शेष सभी भाटक, स्वामित्व और अन्य देय रकम का संदाय कर दिया है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुसूची

पट्टे की अवस्थिति और क्षेत्र

.... थाना ....उपजिला ....रजिस्ट्रीकरण जिला .... में ....(परगना) में ....(क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) में अवस्थित सभी भूखंड जिसका मालगुजारी विषयक सर्वेक्षण सं0 ....है

और जिसका क्षेत्रफल .... या उसके लगभग है और जो इससे उपाबद्ध नक्शे में .... रंग की रेखा से बनाया गया है और उसमें ....रंग भरा गया है तथा उस भूखंड के –

उत्तर में ....है

दक्षिण में ....है

पूर्व में ....है

पश्चिम में ....है

राज्य सरकार के लिए उसकी ओर से ....

ने

1.

2.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में अन्तरक के हस्ताक्षर-

1.

2.

निम्नलिखित की उपस्थिति में अन्तरती के हस्ताक्षर"

1.

2.

सं० फा० 7(2)/78-एम वी आई/एम एम

ह०

(जे०ए० चौधरी)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,